भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 601

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

601 श्री अरूण भारती :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न जनजातियों के आंकड़े क्या हैं और उनके अंतर्गत कितने व्यक्ति शामिल हैं;

(ख) : सरकार द्वारा उक्त अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवंटित कुल निवेश का ब्यौरा क्या है और उक्त अभियान के संचालन के लिए राज्य-वार कितनी निधि आवंटित की गई है और अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) : उन जनजातीय लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पीएम जनमन मिशन के अंतर्गत आधार कार्ड, एफआरए हेतु पट्टे आदि जैसे अनिवार्य दस्तावेज पहले ही प्राप्त कर लिए हैं और वे उनके अधिकार में हैं; और

(घ) : सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पीएम जनमन मिशन के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) : 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में फैले हुए जनजातीय समुदायों में सबसे कमजोर वर्गों के 75 समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीएम जनमन के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गुजरात सहित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह अभ्यास शुरू किया है, ताकि पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके। एकत्रित आंकड़ों (21.11.2024 तक) के आधार पर, गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पीवीटीजी और जिलों की संख्या **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध की गई है।

(ख) : प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़)। पीएम जनमन के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और मंत्रालय-वार स्वीकृत निधियां **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी शिविर आयोजित किये गये हैं, जिनका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी में सुविधा प्रदान करना था, जो पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, जिलों को इन बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को शामिल करने की सलाह दी गई है। इन अभियानों के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है।

अनुलग्नक-I

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" के संबंध में श्री अरुण भारती द्वारा दिनांक 28.11.2024 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों / विभागों द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या और जिलों का अनुमान (21.11.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य*	जिलों की संख्या	पीवीटीजी जनसंख्या
1	अंडमान और निकोबार	2	191
2	आंध्र प्रदेश	13	492552
3	छत्तीसगढ़	18	229743
4	गुजरात	20	153516
5	झारखंड	24	398952
6	कर्नाटक	5	57448
7	केरल	6	29511
8	मध्य प्रदेश	24	1229201
9	महाराष्ट्र	17	623143
10	ओडिशा	14	300436
11	राजस्थान	1	128456
12	तमिलनाडु	21	380376
13	तेलंगाना	10	63194
14	त्रिपुरा	8	273240
15	उत्तर प्रदेश	1	3527
16	उत्तराखंड	7	92233
17	पश्चिम बंगाल	4	67087
कुल योग		**195**	**4522806**

* बिहार और मणिपुर इस अभियान के अंतर्गत शामिल अन्य राज्य हैं।

अनुलग्नक -II

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" के संबंध में श्री अरुण भारती द्वारा दिनांक 28.11.2024 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, पीएम-जनमन के अंतर्गत मंत्रालय-वार निधियों की स्वीकृति (20.11.2024 तक)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)	एमएनआरई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	संचार मंत्रालय (डीओटी-यूएसओएफ)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
										एमपीसी	वीडीवीके
1	आंध्र प्रदेश	44.33	280.53	40.31	43.44	18.85	88.71	8.38	94.5	14.97	3.105
2	छत्तीसगढ़	200.63	1698.92	19.65	32.28	68.3	38.17	6.42	21.6	8.52	1.1976
3	गुजरात	94.46	1.24	5.76	8.04	13.75	0	0	12.6	1.66	0.525
4	झारखंड	54.54	113.86	7.45	13.32	27.5	74.13	11.71	4.5	0.62	1.438
5	कर्नाटक	6.24	55.62	1.69	2.88	2.3	3.77	0.9	9	3.33	0.892
6	केरल	1.36	0.00	7.45	0.84	10.1	0.86	0	6.3	2.29	0.2166
7	मध्य प्रदेश	1575.11	836.21	25.07	111.24	117.3	143.39	10.3	18.9	25.99	2.5755
8	महाराष्ट्र	100.54	0.00	26.42	26.4	35.75	26.61	0	8.1	12.47	1.812
9	ओडिशा	263.72	149.75	16.94	14.64	82.5	0	0	13.5	24.64	1.7765
10	राजस्थान	167.68	68.86	2.03	10.8	9.2	40.34	0	0.9	3.33	4.3296
11	तमिलनाडु	31.14	0.00	35.57	5.04	14.91	29.89	0	0.9	10.09	1.2015
12	तेलंगाना	0	66.85	4.74	10.2	19.75	6.79	1.63	4.5	2.91	0.7305
13	त्रिपुरा	153.97	114.32	2.03	20.04	37.6	61.52	8.52	9	4.57	1.27
14	उत्तर प्रदेश	2.04	0.00	0.68	0.12	5.5	1.1	0	0	0.83	0.1595
15	उत्तराखंड	26.38	0.00	8.13	0.96	7.35	0.6	0	0	3.01	0.157
16	पश्चिम बंगाल	0	0.00	4.74	0	0	0	0	0	0.00	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.028
18	मणिपुर	0	0.00	0	5.04	5.5	0	0	0	0.00	0
19	बिहार	0	0.00	0	5.88	0	0.28	0	0	0.00	0
कुल योग		**2722.14**	**3386.2**	**208.66**	**311.16**	**476.16**	**516.16**	**47.86**	**204.3**	**119.24**	**21.41**

*****